लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1006

दिनांक 22.11.2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

हस्तशिल्प का उत्थान

1006. श्री कुँवर दानिश अली:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में, हस्तशिल्प की बेहतरी और उत्थान के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) जी हां महोदय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं के तहत कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत दरिद्र परिस्थितियों में हस्तशिल्प कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(i) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ब्याज अनुदान के साथ मुद्रा ऋण और मार्जिन मनी:
मुद्रा ऋण के तहत कारीगरों/बुनकरों को उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिकतम 1,00,000/- रुपए की सीमा तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 6% ब्याज अनुदान के साथ सहायता प्रदान की जाती है। कारीगरों को मुद्रा ऋण की सुविधा का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, उनके ऋण खाते में मार्जिन मनी के रुप में मुद्रा लोन का 20% अधिकतम 10,000/ रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। हस्तशिल्प सेवा केंद्र कारीगरों को संगठित करने, जागरूकता फैलाने और बैंकों को उनके आवेदन प्रस्तुत करने के द्वारा ऋण सुविधा का लाभ उठाने में कारीगरों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

(ii) दरिद्र परिस्थितियों में कारीगरों को सहायता (पेंशन स्कीम):
यह स्कीम पुरस्कृत कारीगरों जो हस्तशिल्प में शिल्प गुरु पुरस्कार/राष्ट्रीय पुरस्कार/राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्रमाणपत्र धारक/राज्य पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता हो और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो एवं उनकी वार्षिक आय 50,000/- रुपए से कम हो को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दरिद्र परिस्थितियों में सिद्धहस्तशिल्पी को प्रति माह 3,500/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना:
18-50 वर्ष के आयु समूह में आने वाले हस्तशिल्प कारीगरों/कामगारों को पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत जीवन, दुर्घटना और अक्षमता कवर प्रदान किया जाता है। 51-59 वर्ष के आयु समूह में आने वाले हस्तशिल्प कारीगर/कामगार जो पहले से ही आम आदमी बोमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत नामांकित है वे अभिसरित संशोधित आम आदमी बीमा योजना (अभिसरित एएबीवाई) के अंतर्गत कवर करना जारी रहेगा।

(iv) एनआईओएस और इग्नू के साथ समझौता ज्ञापन:
कारीगरों और उनके बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु वस्त्र मंत्रालय और राष्ट्रीय ओपन स्कूल संस्थान (एनआईओएस) के बीच एक समझौता ज्ञापन और इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) और विकास

आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के बीच हस्तशिल्प एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे और महिला कारीगरों के लिए फीस के 75% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। समझौता ज्ञापन में विशेष रूप से हस्तशिल्प कारीगरों और उनके बच्चों के लिए डिजाइनिंग कोर्सों का प्रावधान है। तदनुसार, एनआईओएस को मानव संसाधन स्कीम के स्थापित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण घटक के तहत वाराणसी क्षेत्र में ज़री जरदोज़ी शिल्प में 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। अभी तक, 99 अनुसूचित जाति कारीगरों ने प्रशिक्षण पूरा किया है और वर्तमान में वृद्धित आय के साथ शिल्प पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) एवं (ग): जी हां महोदय, सरकार हस्तशिल्प क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए **"राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" तथा "बृहत हस्तशिल्प कलस्टर विकास कार्यक्रम (सीएचसीडीएस)"** के तहत विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित कर रही है।

एनएचडीपी के निम्नलिखित घटक हैं:

1) अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत कारीगरों का बेसलाइन सर्वेक्षण एवं मोबलाईजेशन
2) डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन
3) मानव संसाधन विकास
4) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5) इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं प्रौद्योगिकी सहायता
6) अनुसंधान एवं विकास
7) विपणन सहायता एवं सेवाएं।

सीएचसीडीएस के निम्नलिखित घटक है:

i. मेगा कलस्टर
ii. हस्तशिल्प परियोजनाओं (विशेष परियोजनाओं) का एकीकृत विकास एवं संवर्धन

सरकार ने उत्तर प्रदेश में कारीगरों के समग्र विकास के लिए अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के तहत कलस्टर विकास परियोजना क्रियान्वित करने की पहल की है। उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 62 कलस्टर स्वीकृत किए गए हैं जिनसे 31000 कारीगर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने बृहत्त हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के तहत पहल की है, जिसमें उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर-भदोही, मुरादाबाद, बरेली और लखनऊ में 4 हस्तशिल्प मेगा कलस्टरों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

*****